२[illegible]

कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर (राज.)

क्रमांकः– रीडर / विविध / 2019 / ४८२ दिनांकः 3-3-20

राजस्व अपीलीय अधिकारी
चित्तौड़गढ़

विषयः– पत्रावलियां पुनः भिजवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्र्तगत राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्र दिनांक 04.02.2020 से निम्नांकित पत्रावलियॉ स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुई। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 की पालना में पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

क्र.स.	अपील संख्या	उनवान	अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक
1	165 / 2020	श्री सुन्दरबाई बनाम नगरपालिका, चित्तौड़गढ़	उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा दिनांक 26.10.2012
2	169 / 2020	श्री रतनलाल बनाम सहायक अभियन्ता	उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ दिनांक 12.12.2017

राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 अनुसार राजस्व अपील अधिकारी को होने वाली निम्नांकित अपीलों का क्षेत्राधिकार संबंधित संभागीय आयुक्त को प्रदान किया गया–

3. First appeal from an original order passed by a **Collector** in the matters not connected with settlement under clause (b) of sub-section(1) of section 75 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956.

4. Appeal from an original order passed by a **Collector** in the matters not connected with settlement under clause (a) of section 76 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956.

उपरोक्त अधिसूचना से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त प्रावधानों में केवल जिला कलक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की जानी वाली अपील का क्षेत्राधिकार संबंधित संभागीय आयुक्त को प्रदान किया गया। उक्त प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी के आदेश की विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है, जिसका क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने से इस न्यायालय को स्थानान्तरित की गई उक्त पत्रावलियां पुनः आपको लौटाई जा रही है। कृपया पावती से अवगत करावें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

(विकास सीतारामजी भाले)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर

1, सहेली मार्ग, उदयपुर–313001, फोन. 0294–2420064, 2420237, 2427004, फेक्सः 0294–2526918, ईमेलः divcomm-udai-rj@nic.in

Scanned with CamScanner